नीति आयोग की संरचना

नीति आयोग का पूरा नाम 'राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान' (National Institute for Transforming India – NITI) आयोग है। 1 जनवरी, 2015 को भारत सरकार द्वारा एक कार्यकारी आदेश पारित किया गया था, जिसके माध्यम से योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया था और नीति आयोग की स्थापना कर दी गई थी। भारत सरकार द्वारा योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग का गठन करने से पहले अनेक विशेषज्ञों, समस्त राज्य सरकारों, अनेक महत्वपूर्ण संस्थानों अन्य हित धारकों के साथ से व्यापक विचार विमर्श किया गया था और उसके बाद नीति आयोग को गठित करने का फैसला लिया गया था। वर्ष 2015 में गठित किए गए नीति आयोग को मुख्य रूप से देश में सहकारी संघवाद के ढांचे को और अधिक मजबूत करने का कार्य सौंपा गया था।

इसके साथ साथ नीति आयोग को मुख्यतः इस उद्देश्य के साथ भी गठित किया गया था कि वह देश में 'न्यूनतम सरकार के माध्यम से अधिकतम शासन' को सुनिश्चित करने में सक्षम होगा। प्रचलित रूप में इस व्यवस्था को 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन के सिद्धांत' (Principle of Minimum Government, Maximum Governance) के नाम से भी जाना जाता है।

वास्तव में, नीति आयोग भारत सरकार का एक ऐसा थिंक टैंक है, जो भारत सरकार को विभिन्न विकासात्मक मसलों पर सलाह देता है। यह कार्यकारिणी संस्थान भारत सरकार को अनेक बिंदुओं पर तकनीकी परामर्श भी उपलब्ध कराता है। नीति आयोग भारतीय अर्थव्यवस्था के उत्थान से संबंधित न सिर्फ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बिंदुओं पर सलाह देता है, बल्कि यह विश्व के अन्य देशों में प्रचलित बेहतरीन प्रणालियों को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप अपनाने के लिए भी सरकार को परामर्श देता है।

नीति आयोग में निम्नलिखित शामिल होंगे–

- भारत के प्रधान मंत्री इसके अध्यक्ष हैं।
- गवर्निंग काउंसिल में भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं ।
- एक से अधिक राज्यों को प्रभावित करने वाले विशेष मुद्दों और संभावनाओं के समाधान के लिए क्षेत्रीय परिषदें बनाई जाएंगी। इनका गठन एक निश्चित अवधि के लिए किया जाएगा. इसे प्रधानमंत्री द्वारा तलब किया जाएगा। इसमें राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होंगे। इनकी अध्यक्षता नीति आयोग के अध्यक्ष या उनके द्वारा नामित व्यक्ति करेंगे।

- विशेष आमंत्रित सदस्य– प्रख्यात विशेषज्ञ, प्रासंगिक डोमेन ज्ञान वाले विशेषज्ञ, जिन्हें प्रधान मंत्री द्वारा नामित किया जाएगा।
- पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचे में अध्यक्ष के रूप में प्रधान मंत्री के अलावा शामिल होंगे–

1. उपाध्यक्ष (प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त) सदस्य (पूरा समय)
2. अंशकालिक सदस्य– अग्रणी विश्वविद्यालयों, अग्रणी अनुसंधान संगठनों और अन्य नवीन संगठनों से पदेन क्षमता में अधिकतम 2 सदस्य। अंशकालिक सदस्य चक्रीय आधार पर होंगे।
3. पदेन सदस्य– मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य जिन्हें प्रधान मंत्री द्वारा नामित किया जाना है।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी– सीईओ की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए की जाएगी। वह भारत सरकार के सचिव के पद पर होंगे।

नीति आयोग के उद्देश्य/कार्य–

- ✓ राष्ट्रीय उद्देश्यों के आलोक में राज्यों की सक्रिय भागीदारी और एक रूपरेखा श्राष्ट्रीय एजेंडा प्रदान करना।
- ✓ निर्बाध आधार पर राज्यों के साथ सुव्यवस्थित समर्थन पहल और तंत्र के माध्यम से सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना।
- ✓ ग्रामीण स्तर पर एक विश्वसनीय रणनीति तैयार करने के तरीकों का निर्माण करना और इन्हें धीरे–धीरे सरकार के उच्च स्तरों पर एकत्रित करना।
- ✓ एक आर्थिक नीति जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा हित शामिल हों।
- ✓ समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना जिन्हें आर्थिक प्रगति से संतोषजनक लाभ न मिलने का खतरा हो सकता है।
- ✓ रणनीतिक और दीर्घकालिक नीति और कार्यक्रम ढांचे और पहल का प्रस्ताव करना और उनकी प्रगति और उनकी प्रभावशीलता की समीक्षा करना।
- ✓ महत्वपूर्ण हितधारकों और राष्ट्रीय–अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंकों के साथ–साथ शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच सलाह देना और साझेदारी को प्रोत्साहित करना।
- ✓ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों आदि के साझा समुदाय के माध्यम से ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता सहायता प्रणाली उत्पन्न करना।
- ✓ प्रगतिशील एजेंडे की पूर्ति में तेजी लाने के लिए अंतर–क्षेत्रीय और अंतर–विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए एक मंच प्रदान करना।
- ✓ एक अत्याधुनिक संसाधन केंद्र को संरक्षित करने के लिए, सुशासन और सतत और न्यायसंगत विकास में सर्वोत्तम प्रथाओं पर अनुसंधान का भंडार बनें और साथ ही प्रतिभागियों को उनके वितरण में मदद करें।

- ✓ सफलता की संभावना को मजबूत करने के लिए आवश्यक संसाधनों की पहचान सहित कार्यक्रमों और पहलों के कार्यान्वयन की प्रभावी ढंग से जांच और मूल्यांकन करना।
- ✓ कार्यक्रमों एवं पहलों के निर्वहन हेतु प्रौद्योगिकी सुधार एवं क्षमता निर्माण पर ध्यान देना।
- ✓ राष्ट्रीय विकास एजेंडा और उद्देश्यों के कार्यान्वयन के लिए अन्य आवश्यक गतिविधियाँ करना।

नीति आयोग के 7 स्तंभ

नीति आयोग प्रभावी शासन के 7 सिद्धांतों पर काम करता है, जिनमें शामिल हैं–

1. जन–समर्थक अभिविन्यास, सामाजिक और व्यक्तिगत दोनों आकांक्षाओं को संतुष्ट करना।
2. नागरिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्रियता।
3. नागरिक भागीदारी।
4. सशक्तिकरण, विशेषकर महिलाओं के लिए।
5. जाति, धर्म या लिंग की परवाह किए बिना सभी व्यक्तियों को शामिल करना।
6. विशेषकर युवाओं के लिए समान अवसरों का प्रावधान।
7. पारदर्शिता, सरकार को जवाबदेह और सुलभ बनाना।